

11/07/21

कमिसेन उपरिप्रेक्षी कर्मक कर्तव्यमा परिप्रेक्ष-
दाग के कमांड 244 दिनांक 13/3/19 के हात
जांच प्रतिवेदन से मात केहेर का नाममा -
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आदेश 47।


11/07/21

--: आदेश :-

11/07/21

मसो० शांति देवी, पति-स्व० केशर मल्लाह ग्राम-बड़ी बाजार मल्लाह टोली, थाना-सदर जिला-हजारीबाग से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उक्त अनुसार अंचल-कटकमदाग ग्राम-खपरियावां, थाना संख्या-119, खाता संख्या-272 प्लॉट संख्या-414 रकबा-3.55 डी० भूमि बकारत आते की है। आवेदिका के पति केशर मल्लाह को केवाला से हाशिल है। प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी आवेदिका के पति के नाम से कायम है। आवेदिका स्वयं जमाबंदी रखत नहीं है। साथ ही साथ जिला अभिलेखागार हजारीबाग में भी खतियान जीर्ण-शीर्ण है। फलस्वरूप भूमि की किरम की स्पष्ट जाहकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। साथ ही भूमि छोटागापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 से अच्छादित है अथवा नहीं स्पष्ट नहीं हो पाता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मसो० शांति देवी, पति-स्व० केशर मल्लाह ग्राम-बड़ी बाजार मल्लाह टोली, थाना-सदर जिला-हजारीबाग से प्राप्त आवेदन को गिरस्त किया जाता है।

तदानुसार अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


अपर समाहता, हजारीबाग।